भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3476
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के लिए फसल क्षति आकलन प्रणाली

3476: श्री राहुल कस्वां:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल कटाई परीक्षणों, उपज अनुमान और फसल क्षति आकलन की बेहतर योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भू-सूचना विज्ञान और यूएवी/ड्रोन आधारित फसल क्षति मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं से किसानों को क्षति के आकलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता सुनिश्चित करने और किसानों को राहत राशि का समय पर संदाय सुनिश्चित करके विशेष संदर्भ में किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में विभिन्न एप्लीकेशन्स जैसे सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और फसली क्षेत्र आकलन एवं उपज विवादों के लिए रिमोट सेंसिंग सहित उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है और सीसीई प्लान, उपज आकलन, नुकसान आकलन, निवार्य बुवाई का आकलन एवं जिलों के क्लस्टरिंग के लिए रिमोट सेंसिंग और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इससे नुकसान के आकलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता सुनिश्चित होगी और दावों का समय पर भुगतान होगा। तदनुसार, सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, सीसीई- एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को सीधे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि।

इसके अलावा, समय पर और पारदर्शी नुकसान आकलन के साथ-साथ स्वीकार्य दावों का समय पर निपटान हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और तकनीकी परामर्श के बाद खरीफ 2023 से **यस -टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) शुरू की गई है**। इस कार्यक्रम के तहत उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद करने के लिए धीरे-धीरे रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर बढ़ने की परिकल्पना की गई है। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है,जिसमें 30% वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज का अनुमान लगाने के लिए है। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को भी जोड़ा गया है। इसे वर्तमान में 10 राज्यों में कार्यान्वित किया

गया है। खरीफ 2023 में सभी 7 कार्यान्वित करने वाले राज्यों में दावों का भुगतान यस-टेक के आधार पर किया गया है।

यसटेक का कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश यसटेक मैनुअल, 2023 में दिए गए हैं। यह पूरी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित, समयबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। राज्य द्वारा चयनित प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन भागीदार (टीआईपी) एजेंसी भारत सरकार द्वारा नामित मेंटर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी रोल-आउट (एमआईटीआर) नामक विशेषज्ञ एजेंसी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में चयनित उपज मॉडल को कार्यान्वित करेगी। टीआईपी के चयन के लिए दिशा-निर्देश यस-टेक मैनुअल में दिए गए हैं। इसी तरह, इसरो, आईसीएआर आदि जैसी सरकारी संस्थाओं को भी एमआईटीआर एजेंसियों की सूची प्रदान की गई है। यस-टेक को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता का भी संकेत दिया गया है।

राज्यों, बीमा कंपनियों, टीआईपी और एमआईटीआर एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ यस-टेक मैनुअल में स्पष्ट रूप से प्रलेखित हैं। कार्यान्वयन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, सीजन के दौरान और सीजन के अंत में कार्य प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। कार्य प्रगति से जुड़े टीआईपी को भुगतान के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। समयसीमा के उल्लंघन के लिए दंड प्रणाली और शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान फ्रेम्वर्क को भी प्रस्तुत गया है।

भारत सरकार के पास यस-टेक मैनुअल के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने, संशोधित करने, वापस लेने या समीक्षा करने का अधिकार है। इस प्रकार, यह उपज आकलन और परिणामी दावा भुगतान में पारदर्शिता/जवाबदेही और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हितों के टकराव से मुक्त मैकेनिज्म है।

******